न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2016 **दायर दिनांकः 04/02/2016**

उनवान

1. रामकिशन उम्र 42 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. नेनगीराम पुत्र मांग्या जाति कीर
2. नरसगा पुत्र मांग्या जाति कीर
3. रामदयाल पुत्र मांग्या जाति कीर
4. बजरंगलाल पुत्र मांग्या जाति कीर
5. मेघराज पुत्र मांग्या जाति कीर
6. शान्ति बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
7. प्रेम बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
8. हरक्या बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
9. द्रोपति बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
10. रामकंवरी बाई बेवा मांग्या जाति कीर निवासीगण पाली तहसील किशनगंज हाल ग्राम मण्डी तहसील श्योपुर जिला मुरेना (म0प्र0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

आदेश दिनाक : 18/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां में आराजी पुराना ख0नं0 819

का रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त रकबे का बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 1281 का रकबा 1.23 है0 बनाये है। उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 के खाते दर्ज है। वाद पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दी, नवीन जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल तथा नई पुरानी जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ में पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णितआराजी ख0न0 819 का रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा नवीन ख0न0 1281 का रकबा 1.23 है0 माल रीछन्दा तहसील अटरू को वादी तथा उसके पिताजी तथा दादाजी काफी लम्बे समय से पिछली तीन पीढ़ीयों से शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। पिछले 50–60 वर्षों से तो वादी तथा उसके पिताजी ही उक्त आराजी को शान्तिपूर्वक बेरोक टोक खुले तौर पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी का उक्त आराजीयात पर पिछले 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त होने की वजह से वादी का उक्त आराजीयात पर प्रतिकूल कब्जा हो चुका है और वादी Adress possession के आधार पर By opration of Law वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का स्वत ही कानूनी तौर पर Legally (in a legal manner) खातेदार कृषक बन चुका है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के खातेदार पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से अलग राज्य मध्य प्रदेश के ग्राम मण्डी तहसील श्योपुर जिला मुरेना मे निवास कर रहे है। वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 से आराजी अपने नाम खाते बंधवाने बाबत् टेलीफोन पर तथा मिलने वालों से सम्पर्क स्थापित करे किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि इस वर्ष की फसल आप और ले लो फिर हम गर्मी मे आयेगें और जमीन पर कब्जा करके जमीन का सौदा करेंगें। उक्त आशय की धमकी प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15.10.2015 को दी थी। उसके बाद मे वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने के बाद में प्रतिवादीगण को फिर कहा कि ईमानदारी रखो और जमीन हमारे नाम खाते बंघवादों तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.01.2016 को आराजी खाते दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया और आराजी को खुर्द बुर्द बेचान रहन करने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी एवं अवैधानिक कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहे एवं वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी जिस पर वादी पिछली तीन पीढ़ीओं से

काबिज काश्त है पर जबरन कब्जा कर लिया या आराजी को खुर्द बुर्द बेचान रहन कर दिया तो वादी आराजी पर प्राप्त अधिकारों से हक हकूकों से वंचित हो जावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है। कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 पारित की जावे कि वादी को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी नवीन ख0नं0 1281 का रकबा 1.23 है0 है0 माल रीछन्दा तहसील अटरू पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें वह वादी को आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। दौराने वाद अगर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 जबरन कब्जा कर लेवें तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 11 को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने पर आमादा है। अगर नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया और इस अवधि में आराजी का बेचान कर दिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। ऐसी स्थिति मे वाद आवश्यक प्रकृति का हो चुका है। इस वजह से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना धार 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 80 (2) सी0पी0सी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.10.2015 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि इस वर्ष काश्त करलो, गर्मी मे हम ही काश्त करेगें या आराजी का बेचान करेगें तथा अन्तिम बार दिनांक 24.01.2016 को आराजी को वादी के खाते दर्ज कराने से साफ इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 पारित की जावेंः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 1281 का रकबा 1.23 है0 माल रीछन्दा तहसील अटरू पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किा जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर लेवे तो उन्हें बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 ल 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी क्रम 10 को अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_3 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकॉर्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक वादी द्वारा वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम माल रीछन्दा की पुराना ख0नं0 819 रकबा 7 बीधा 7 बिस्वा बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 1281 रकबा 1.23 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के खाते दर्ज है।

उक्त आराजी को वादी तथा उसके पिता तथा दादाजी काफी समय से पिछली 3 पीढीयों से शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। 50—60 वर्षों से वादी व उसके पिता कास्त करते चले आ रहे है। 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार शान्ति कब्जा काश्त होने की वजह से प्रतिकूल कब्जे Adress possession के आधार पर By opration of Law से वर्णित आराजी पर स्वत ही कानूनी तौर पर खातेदार कृषक बन गया है। उक्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड खाता संख्या 46 ख0नं0 1281 रकबा 1.23 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 10 के खाते दर्ज है।

साक्ष्य PW_1 के अनुसार नेनगीराम वगै0 जाति कीर निवासी पाली हाल मण्डी श्योपुर मध्यप्रदेश में निवास करते है। इनका निवास जन्म से रीछन्दा में नही रहा है, और नही (प्रतिवादीगणों) ने कभी जीवन में काश्त नही की और न ही बडे बूडों ने काश्त की पिछले 28–30 वर्षो से कास्त कर रहा हूॅ और मेरे पिता व दादा ने इस भूमि को हम 3 पीढियो से काश्त कर रहे है। मैने इससे कई बार सम्पर्क किया लेकिन गांव में नही आये। PW_1 से PW_3 अनुसार रीछन्दा माल की 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि कीरो की है, लेकिन जन्म से रामकिशन ही उस जमीन पर कास्त कर रहा है। इससे पूर्व रामकिशन के पिता काश्त करते थे लगभग 3 पीढी से काश्त करते है। 12 वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा की खाता संख्या 46 ख0नं0 1281 रकबा 1.23 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 27/2016

उनवान

1. रामकिशन उम्र 42 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. नेनगीराम पुत्र मांग्या जाति कीर
2. नरसगा पुत्र मांग्या जाति कीर
3. रामदयाल पुत्र मांग्या जाति कीर
4. बजरंगलाल पुत्र मांग्या जाति कीर
5. मेघराज पुत्र मांग्या जाति कीर
6. शान्ति बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
7. प्रेम बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
8. हरक्या बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
9. द्रोपति बाई पुत्री मांग्या जाति कीर
10. रामकंवरी बाई बेवा मांग्या जाति कीर निवासीगण पाली तहसील किशनगंज हाल ग्राम मण्डी तहसील श्योपुर जिला मुरेना (म0प्र0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा की खाता संख्या 46 ख0नं0 1281 रकबा 1.23 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 10:34:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: